UPBN010041812026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बदायूँ

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1571/2026

सचिन बनाम राज्य

मु०अ०सं०–12/2018

सत्र वाद संख्या 2753/2023

धारा–302 भा०दं०सं०

थाना–उघैती, जिला–बदायूँ।

<u>24–06–2026</u>

1– प्रार्थी/अभियुक्त **सचिन** की ओर से यह जमानत प्रार्थना–पत्र **मु०अ०सं०–12/2018, सत्र वाद संख्या 2753/2023, धारा–302 भा०दं०सं०, थाना–उघैती, जिला–बदायूँ** के मामले में प्रस्तुत किया गया है, जिसके अंतर्गत अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में कारागार में निरूद्ध है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी मुकदमा श्रीमती सर्वेश द्वारा दिनाँक 10.1.2018 को थाना–उघैती, जिला–बदायूँ पर इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी कि दिनांक 09.01.2018 की रात्रि समय करीब 09 बजे प्रार्थिनी के ददिया ससुर वेदराम पुत्र हरदयाल ट्रैक्टर के पास बरामदे में सो रहे थे ट्रैक्टर की लाइट जल रही थी तभी पुरानी रंजिश को लेकर गांव के ही सत्यवीर पुत्र होरीलाल, जित्येन्द पुत्र राजवीर ग्राम हमूपुर, नेमकुमार पुत्र प्रकाश निवासी शिकारपुर थाना सहसवान, हरपाल पुत्र तोताराम नि० हमूपुर, सचिन पुत्र सतीश चन्द निवासी हमूपुर मय हथियारों से लेस होकर आये प्रार्थिनी के ससुर वेदराम को सोते हुए सत्यवीर ने रायफल से गोली मार दी फायर की आवाज पर प्रार्थिनी ने टार्च जलाकर अपनी आँखो से देखा तो सत्यवीर के हाथ में रायफल व नेमचन्द व जित्येन्द्र, हरपाल पर तमन्चे थे सचिन पर धारदार हथियार था जैसे ही प्रार्थिनी ने शोर मचाया तो पडोस के रामवीर पुत्र किशनलाल, हरेश पुत्र नत्थू सिंह दौड़ कर आये और टार्च की रोशनी में उक्त लोगों को भागते हुऐ अपनी आखों से देखा है। गोली उनके सीधे कान पर लगी है गोली लगने से उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गयी है। प्रार्थिनी रिपोर्ट को आयी है रिपोर्ट दर्ज करके कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। वादिनी की तहरीर के आधार पर उक्त मामला थाना–उघैती, जिला–बदायूँ पर अभियुक्तगण सत्यवीर, जित्येन्द्र, नेम कुमार, हरपाल व सचिन के विरूद्ध मु०अ०सं०–12/2018, धारा–147, 148, 149, 302 भा०दं०सं० के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरान्त विवेचक द्वारा अभियुक्त सत्यवीर के विरूद्ध धारा 302 भा०दं०सं० के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया तथा नामित जितेन्द्र, हरपाल, सचिन व नेमकुमार की नामजदगी झूठी पायी गयी। **अभियुक्त सचिन** व तीन अन्य को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–01, बदायूं के आदेश दिनांकित 27–10–2023 द्वारा धारा 319 दं०प्र०सं० के अंतर्गत धारा 302 भा०दं०सं० के अपराध में विचारण हेतु आहूत

किया गया है।

3– प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। उसे वादी द्वारा पार्टीबंदी के आधार पर झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में दिए गए तथ्य असत्य एवं असंभावित तथ्यों पर आधारित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई भी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त की नामजदगी विवेचना में झूठी पायी गयी थी। प्रार्थी/अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा धारा 319 दं०प्र०सं० के अंतर्गत तलब किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। प्रार्थना है कि प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने की कृपा की जाये।

4– अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया और कथन किया गया कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की कृपा की जाये।

5– मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6– प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 09.01.2018 की रात्रि समय करीब 09 बजे वादिनी मुकदमा के ददिया ससुर वेदराम को ट्रैक्टर के पास बरामदे में सोने व ट्रैक्टर की लाइट जलने और पुरानी रंजिश को लेकर गांव के ही सत्यवीर, जित्येन्द , नेमकुमार, हरपाल व **सचिन** को मय हथियारों से लैस होकर आने और वादिनी के ससुर वेदराम को सोते हुए सहअभियुक्त सत्यवीर द्वारा रायफल से गोली मार देने तथा फायर की आवाज पर वादिनी द्वारा टार्च जलाने पर सत्यवीर के हाथ में रायफल व नेमचन्द, जित्येन्द्र व हरपाल पर तमन्चे व सचिन पर धारदार हथियार अपनी आँखो से देखने और शोर मचाने पर पडोस के रामवीर, हरेश को दौड़कर आने और टार्च की रोशनी में अभियुक्तगण को भागते हुऐ अपनी आंखो से देखने तथा गोली वेदराम के सीधे कान पर लगने और गोली लगने से उनकी मौके पर ही मृत्यु हो जाने आदि कथन किये गये हैं। केस डायरी के पर्चा संख्या–1 में वादिनी मुकदमा सर्वेश द्वारा अपने बयान 161 दं०प्र०सं० में प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित कथनों का समर्थन किया गया है। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है तथा विवेचक द्वारा अभियुक्त की प्रस्तुत मामले में संलिप्तता नहीं पायी गयी थी और इसके विरूद्व आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित नहीं किया गया तथा मात्र अभियुक्त सत्यवीर की घटना में संलिप्तता के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए उसके विरूद्व विवेचक द्वारा विवेचना उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

7– न्यायालय में आरोप पत्र में नामित अभियुक्त सचिन के विरूद्व आरोप विरचित होने के पश्चात अभियोजन की ओर से तथ्य के साक्षी वादिनी सर्वेश, रामवीर व हरीश को क्रमशः पी०डब्लू० 1, पी०डब्लू० 2 व पी०डब्लू० 5 के रूप में परीक्षित कराया गया। उक्त साक्षीगण द्वारा अपने–अपने बयान में सत्यवीर व अन्य अभियुक्त के साथ–साथ अभियुक्त सचिन की भी उक्त घटना कारित करने में संलिप्तता बतायी गयी है। अभियोजन के प्रार्थना पत्र 19क अंतर्गत धारा 319 दं०प्र०सं० पर सुनवाई उपरान्त न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय

संख्या–01, बदायूं द्वारा आदेश दिनांकित 27–10–2023 के माध्यम से अभियोजन साक्षीगण पी०डब्लू० 1, 2 व 5 के बयानों से अभियुक्त सत्यवीर के साथ–साथ प्रस्तावित अभियुक्तगण की उपस्थिति घटनास्थल पर पाये जाने व अपराध कारित करने में उनकी संलिप्तता आदि के दृष्टिगत अभियुक्त सचिन व तीन अन्य नेम कुमार, हरपाल व जितेन्द्र को धारा 319 दं०प्र०सं० का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए धारा 302 भा०दं०सं० के अपराध में विचारण हेतु आहूत किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक वेदराम की मृत्यु का कारण **SHOCK AND HAEMORRHAGE DUE TO ANTEMORTEM FIREARM INJURY** होना उल्लिखित है। प्रस्तुत प्रकरण में **सह–अभियुक्त जितेन्द्र** की जमानत इस न्यायालय द्वारा **निरस्त** की जा चुकी है। प्रस्तुत मामला हत्या जैसे गम्भीर प्रकृति के अपराध का है। अभियुक्त की घटना में सक्रिय भूमिका दर्शित की गयी है। मामले के समस्त तथ्यों को देखते हुए आधार जमानत पर्याप्त नहीं है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **सचिन** की ओर से प्रस्तुत किया गया यह जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है ।

(कु० रिंकू)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
बदायूँ।
JOCode–UP06101

दिनांक–24–06–2026